न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—58/2021 (2021/164) वाद पत्र

उनवान

1—ग्राम पंचायत मोखुन्दा जरिये सरपंच/सचिव पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1—कानसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
2—गिरधारी पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
3—नेनसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
4—पप्पुकंवर पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
5—प्रकाशकंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
6—प्रेमकंवर पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
7—मेघसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी एक स्वायत संस्था होकर पंचायत राज अधिनियम के अधीन गठित एक निगमित निकाय है तथा ग्राम मासिंहपुरा वादी की पंचायत का गांव है तथा उक्त गावं की आबादी विस्तार एवं गांव के प्रशासनिक कार्य वादी के अधीन है। ग्राम मसिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी में वादी को प्रतिवादी संख्या 9 की बिलानाम साबिक आराजी संख्या 537 में से आ.स. 537/2क रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 537/3ख रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा आ.सं. 537/6घ रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा 537/938 रकबा 15 बिघा 5 बिस्वा भूमि फर्दन फर्दन गावं के विकास एवं आबादी विस्तार के लिए आवटित हुई जिस पर वादी काबिज होकर वादी ने गांव के गरीब व्यक्तियों के बाड़े एवं मकान बनाने के लिए उनको पट्टे जारी कर है तथा वादी की भूमी आवासीय उपयोग में आ रही है। प्रमाण मे पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रतिवाद के साथ की है। आ.स. 537 में से वादी को आबादी विस्तार हेतु भूमी आवंटन होने के पश्चात इसी आ.सं. 537 में शेष रही भूमी में से गाव के उमा पिता खेमा गुर्जर, भैरू पिता नरिंग गुर्जर व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को आ.स. 537/1 रकबा 8 बिस्वा 537/2 रकबा 1 बीघा 537/3 रकबा [illegible] भूमी आवंटित की गई। इस तरह उक्त आराजी में से संपूर्ण भूमी को आबादी विस्तार एवं [illegible] लोगो को आवंटित कर दी गई परंतु उस समय वादी को आवंटित [illegible] लोगों [illegible] आवंटित भूमी के नम्बरों को साबिक नक्शे में कहीं तरमीम नहीं किया गया। परंतु [illegible] वादी को कब्जा दिया गया [illegible] पर वादी द्वारा ग्राम के लोगो को मकान व बाड़े बनाने के लिए पट्टे जारी किए [illegible] तथा संपूर्ण आबादी भूमी पर ग्राम के लोगों के बाड़े मकान बने हुए है वादी द्वारा उन्हें समय समय पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:43 IST
Reason: SelfAttested

पट्टे भी जारी किए गए है। प्रतिवादीगण के पूर्वज को आवंटित आ.सं. 537/2 रकबा 1 बीघा पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज का कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में है। प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज ग्राम जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द के निवासी है तथा उनकी खातेदारी भूमियां ग्राम मासिहपुरा में साबिक आ.सं. 459/1, 459/2, 460/1, 460/2 है जिसके पास ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने आवंटित जमीन की एवज में कब्जा किया तथा तब से नहीं काबिज चले आ रहें हैं। ग्राम मासिंहपुरा में सेटलमेन्ट होने से वादी को आबादी विस्तार हेतु आ.स. 537 में से आवंटित भूमी के नवीन नम्बर 761 रकबा 4.16 हेक्ट. आ.स. 768 रकबा 0.21 हैक्ट आ.स. 770 रकबा 1.14 हेक्ट आ.सं. 771 रकबा 1.05 कायम किए गए तथा प्रतिवादी के पूर्वज को आवंटित भूमी आ.सं. 537/2 के नवीन नम्बर 772 रकबा 0.22 हेक्ट, उमा गुर्जर की आ.स. 537/3 के नवीन नम्बर 741 रकबा 0.05 हैक्ट एवं भैरा गुर्जर की आ.स. 537 के नवीन नम्बर 762 रकबा 0.09 हेक्ट कायम किए गए प्रमाण में जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल तथा नवीन नक्शा ट्रेस की प्रति साथ पेश की है। वादी को आवंटित भूमी जो मौके पर एक ही चक होकर आ.सं. 773 किस्म मै.मु. रास्ता से लगती हुई है तथा उक्त आबादी आ.सं. 761, 770, 771 एक ही सरेवले में है तथा इनके बीच में कहीं पर भी अन्य खातेदारान की भूमी नहीं है परंतु सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के पूर्वज को आवंटित भूमी जिसके नए नम्बर आ.सं. 772 रकबा 0.22 हैक्ट को वादी के कब्जे की आबादी भूमी में वर्गाकार डिब्बे के रूप में आ.सं. 773 से लगती हुई दर्ज कर दिया जिस पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज का कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में है उक्त स्थान पर वादी का कब्जा ग्राम के लोगो के मकान तथा बाड़े बने हुए हैं जिसे करीब 40–45 साल हो गए हैं तथा वादी की आबादी आ.सं. 768 को अन्य खातेदारान को आवंटित भूमी के पास उत्तरी भाग में दर्ज कर दिया जो गलत होकर अवैध है। प्रतिवादीगण के पूर्वज तथा अन्य खातेदारान को वादी को आवंटित भूमी के उत्तरी पश्चिमी दिशा में भूमी आवंटित हुई थी तथा अन्य खातेदारान की आ.सं. 762, 741, 763, 769 को नवीन नक्शे में वक्त आवंटन जहां उन्हें कब्जा दिया गया उसी स्थान पर वादी की भूमी के उत्तरी पश्चिमी दिशा में दर्ज किया गया है जिससे साफ प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण को आवंटित भूमी भी इससे लगती हुई आ.सं. 768 हैं तथा इसी स्थान पर प्रतिवादीगण की आ. सं. 772 को दर्ज करना चाहिए था परंतु इस पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रतिवादीगण का कब्जा वर्तमान में ग्राम मासिंहपुरा की बिलानाम आ.सं. 780 रकबा 0.05 हैक्ट, आ.सं. 781 रकबा 0.03 हैक्ट. आ.सं. 779 रकबा 0.04 हैक्ट तथा आ.सं. 778 रकबा 0.31 हैक्ट में से रकबा 0.10 हैक्ट, कुल 0.22 हेक्ट पर हैं तथा आ.सं. 768 रकबा 0.21 हेक्ट, जहां प्रतिवादीगण को भूमी आवंटित की गई उक्त भूमी मौके पर खाली पड़ी हुई हैं। वादी को ग्राम के विकास एवं आबादी विस्तार के लिए आवंटित भूमी के मध्य प्रतिवादीगण की भूमी आ. स. 772 को दर्ज क[illegible]के लोगों के मकान व बाड़े हटाकर उक्त भूमी को विक्रय करने पर आमादा [illegible]वादी द्वारा कई गरीब एवं आवास विहीन लोगो को उक्त भूमी में पट्टे [illegible] रखे है [illegible]से वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध आ.सं 768 रकबा 0.21 [illegible]जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने तथा आ.सं. 772 रकबा 0.22 हैक्ट [illegible]वीन नक्शे एवं जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज करने या आ.सं. 772 को वादी के नाम दर्ज करने तथा आ.सं. 768 को बिलानाम सरकार कर बिलानाम आ.सं. 780 रकबा 0.05 हैक्ट आ.सं. 781 रकबा 0.03 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:43 IST
Reason: SelfAttested

आ.सं. 779 रकबा 0.04 हैक्ट तथा आ.स. 778 रकबा 0.31 हैक्ट में से रकबा 0.10 हैक्ट. कुल 0.22 हैक्ट, प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। अतः एव श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मासिंहपुरा की आ.सं. 768 रकबा 0.21 हैक्ट को नवीन नक्शे एवं राजस्व जमांबदी में प्रतिवादी संख्या एक से आठ के नाम दर्ज करने तथा आ.सं. 772 रकबा 0.22 हैक्ट को नवीन नक्शे एवं जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज करने या आ.सं. 768 को बिलानाम सरकार करने तथा ग्राम मासिंहपुरा की बिलानाम आ.सं. 780 रकवा 0.05 हैक्ट. आ.सं. 781 रकबा 0.03 हैक्ट. आ.सं. 779 रकबा 0.04 हैक्ट तथा आ.सं. 778 रकबा 0.31 हैक्ट में से रकबा 0.10 हैक्ट, कुल 0.22 हैक्ट प्रतिवादी संख्या एक से आठ के नाम दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने आदेश प्रतिवादी संख्या 9 को दिए जावे। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मासिंहपुरा की आ.सं. 772 रकबा 0.22 हेक्ट, जिस पर वादी का कब्जा होकर गांव के लोगो के बाड़े व मकान बन हुए हैं को प्रतिवादीगण किसी अन्य को रहन बय बक्षीस नहीं करे एवं वादी को अपने हक एवं आधिपत्य की भूमी से बेदखल नहीं करे तथा किसी प्रकार दखलदांजी ने तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को उनके कब्जे की आ.स. 772 को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर चादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 8 फॉरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाही गई।

प्रतिवादीगण की ओर जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 2 स्वीकार होकर कथन है कि प्रतिवादीगण को आवंटित भूमि पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा जिस स्थान पर प्रतिवादीगण का कब्जा है वर्तमान में वह नम्बर 677 है तथा खातेदारी कृषि आराजी संख्या 673 जो मोडा गुर्जर की है जिसकी दक्षिणी पाली से लगता हुआ रकबा प्रतिवादीगण के कब्जे में आ रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 4 आंशिक स्वीकार होकर कथन है कि प्रतिवादीगण का कब्जा आराजी संख्या 772 पर नही होकर बिलानाम आराजी संख्या 677 रकबा 0.22 है0 पर है। तथा वक्त आंवटन से [illegible] आ रहा है जिससे आराजी संख्या 768 को बिलानाम सरकार करने तथा [illegible] रकबा 0.22 है0 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने तथा आराजी [illegible] दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना न्या[illegible] क्लेम में अंकन किया कि प्रतिवादीगण का साबिक आराजी [illegible] 1 बीघा पर ही कब्जा चला आ रहा है तथा सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के नम्बर को गलत जगह अकिंत कर दिये गये है। वर्तमान में प्रतिवादीगण का जहां पर कब्जा है वह आराजी संख्या 677 है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 677 रकबा 0.22 है0 को खातेदार मोडा पिता गिरधारी, नारू पिता गिरधारी गुर्जर की आराजी संख्या 673 की दक्षिणी पाली से लगती हुई प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने तथा आराजी संख्या 768 को बिलानाम सरकार करते हुए आराजी संख्या 772 को वादी के नाम दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे।

प्रतिवादीगणो के द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ काउन्टर क्लेम पर वादी अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही कर काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाने में आपत्ति नही करते हुए सहमति व्यक्त की गई और साथ ही यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणो को साबिक एक ही आराजियात मे से फर्दन फर्दन अलोट हुआ किन्तु भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा उभयपक्ष के कब्जे अनुसार नक्शे में नवीन नम्बर को दर्ज नही कर अलग जगह दर्शा दिया गया है। जिससे दोनो पक्षो को मोका स्थिति विपरीत दर्ज कर दिया गया है जिस प्रकार मौके पर वादी व प्रतिवादीगणो को वक्त आंवटन से कब्जा है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी को साबिक बिलानाम आराजी संख्या 537 मे फर्दन फर्दन समय में भूमि आवंटन हुई और प्रतिवादी को भी इसी नम्बर मे से भूमि आवंटन हुआ। वादी और प्रतिवादीगणो को तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा जहां पर कब्जा दिया उसी जगह पर काबिज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारान के नाम पर जो नवीन नम्बर दर्शाये गये है वो मौका स्थिति से भिन्न है जबकि जहां पर उभयपक्षकरान का कब्जा है उसमें किसी विपक्ष को कोई आपत्ति नही है एवं उभयपक्ष भी आपस में विवाद नही चाहते है। ऐसी स्थिति में वाद एवं काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर ओदश दिया जाता है कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 772 रकबा 0.22 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बजाय वादी की एवं आराजी संख्या 677 रकबा 3.51 है0 मे से 0.22 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 768 रकबा 0.21 है0 भूमि वादी के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1-11-2021

सुन्दरलाल बम्बोडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:43 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–58/2021 (2021/164) वाद पत्र

उनवान

1–ग्राम पंचायत मोखुन्दा जरिये सरपंच/सचिव पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर
वादी

बनाम

1–कानसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
2–गिरधारी पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
3–नेनसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
4–पप्पुकंवर पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
5–प्रकाशकंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
6–प्रेमकंवर पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
7–मेघसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर ओदश दिया जाता है कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 772 रकबा 0.22 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बजाय वादी की एवं आराजी संख्या 677 रकबा 3.51 है0 मे से 0.22 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 768 रकबा 0.21 है0 भूमि वादी के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

1.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:43 IST
Reason: SelfAttested